

पत्रांक -3/एम०-09/2023सा10प्र0...5267/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

डॉ० बी० राजेन्द्र,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
पुलिस महानिदेशक
सभी प्रगडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक ...17.3.2023

विषय— रमजान के महीने में मुस्लिम सरकारी सेवकों के कार्यालय अवधि के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग) के कार्यालय आदेश ज्ञापक-349 दिनांक-11.12.2000 द्वारा रमजान के महीने में मुस्लिम सरकारी सेवकों के कार्यालय अवधि के सदर्भ में निम्न निर्णय ससूचित है—

“सरकार द्वारा मुस्लिम कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों की सुविधा के गद्देनजर रमजान की अवधि के लिए निर्धारित समय से एक घंटा पूर्व कार्यालय आने तथा निर्धारित समय से एक घंटा पूर्व कार्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

यह आदेश स्थायी रूप से प्रत्येक वर्ष के लिए प्रभावी रहेगा।”

2. सम्प्रति गृह विभाग (विशेष शाखा) के पत्रांक-8986 दिनांक-12.08.2022 द्वारा दिनांक-29.08.2022 से विभागों/निदेशालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के लिए Biometric Attendance के माध्यम से उपस्थिति दर्ज किया जाना सुनिश्चित करने का निदेश परिचालित किया गया है।

R

उक्त क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-15498 दिनांक-01.09.2022 एवं पुनः 16458 दिनांक-12.09.2022 द्वारा Biometric Attendance के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने एवं कार्यालय में उपस्थिति में समय की पाबन्दी के संदर्भ में भी कतिपय निदेश परिचारित हैं।

3. सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि Biometric Attendance की व्यवस्था में भी रमजान के महीने में मुस्लिम कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के संदर्भ में उपर्युक्त कंडिका-1 में वर्णित राज्य सरकार का निर्णय पूर्ववत् लागू रहेगा। यह सुविधा नियमित/संविदा नियोजित/वाह्य स्रोत से नियोजित सभी मुस्लिम कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को मात्र रमजान अवधि के लिए अगले आदेश तक देय होगी।

विश्वासभाजन,

Muzendo
17-3-2023

(डॉ० बी० सज्जेन्दर)

सरकार के प्रधान सचिव ।

शापांक 189 / दिनांक 01-03-2025

प्रतिलिपि : जिले के सभी मन्त्रालयों/प्र० अ०/प्र० प्र० अ०/पाठ/क/साठ/
(उच्च मा० विभागों को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यार्थ
प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिले के सभी सरकारी शिक्षा पदाधिकारी जिला-
प्रशिक्षण को सचिव एवं आवश्यक कार्यालयों को

प्रतिलिपि :- मित्रों के सभी कार्यक्रम पदाधिकारी/मित्रा
कार्यक्रम पदाधिकारी, मित्रा-किशनगंज के
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेजिए।

६ बाबा २५
मिना शिखा पदाधिकारी,
विश्वमंडल /
०१/०१/२५